(16)

संख्या–133/XLI-1/2010–81/08

प्रेषक,

ओ0पी0तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 4 मार्च, 2011

विषयः– एन0टी0पी0सी0 के सहयोग से कालाढुंगी में पालीटेक्निक की स्थापना/ भवन निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–103कैम्प/नि0प्रा0शि0/प्लान–15/2010–11, दिनांक 01.02.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय एन0टी0पी0सी0 के सहयोग से कालाढुंगी में पालीटेक्निक की स्थापना/भवन निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 मेडिकल इकाई, हल्द्वानी द्वारा गठित प्रथम चरण के कार्य (प्रतिक्रियात्मक कार्यो) के आगणन ₹36.82 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाये गये ₹25.28 लाख (रूपये पच्चीस लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) के आगणन की प्रशासनिक स्वीकृति अधोल्लिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:–

1– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

2– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

5 - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

6– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

7– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समया सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–975(P)/XXVII(3)/2010–11 दिनॉक 03.03.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (हाईड्रो) एन0टी0पी0सी0 लि0, हाइड्रो क्षेत्र मुख्यालय, पॉचवा तल, ए–विंग कृभको भवन, प्लाट नं0–ए–10, सेक्टर–1, नोएडा।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/कोषाधिकारी, कालाढुंगी/नैनीताल।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, मेडिकल कालेज इकाई हल्द्वानी।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।